आईपीआर में विशेषज्ञता रखने वाली फर्मों से प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 25.02.2026 की विचारार्थ विषय अधिसूचना के संबंध में परिशिष्ट।

विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत कानूनी मामलों के विभाग ने राजपत्र अधिसूचना दिनांक 05.02.2026 के माध्यम से एक कार्यालय ज्ञापन संख्या J-12011/6/2025-Judicial/E.158060 जारी किया है, जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न श्रेणियों के अधिवक्ताओं को देय संशोधित शुल्क संरचना का विवरण दिया गया है।

इससे पूर्व यह शुल्क संरचना कार्यालय ज्ञापन संख्या 26(1)/2014/judl. दिनांक 01.10.2015 के तहत निर्धारित की गई थी, जिसका उल्लेख एपीडा की वेबसाइट पर प्रकाशित दिनांक 25.02.2026 के विचारार्थ विषय दस्तावेज में घरेलू स्तर पर (यानी भारत में) किए जाने वाले कार्यों के संदर्भ में किया गया है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त विचारार्थ विषय दस्तावेज दिनांक 25.02.2026 में कार्यालय ज्ञापन संख्या 26(1)/2014/judl. दिनांक 01.10.2015 के किसी भी संदर्भ को अब 'कार्यालय ज्ञापन संख्या J-12011/6/2025-Judicial/E.158060 दिनांक 05.02.2026 (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित)' के रूप में पढ़ा जाए।

*किसी भी भ्रांति की स्थिति में अंग्रेजी को वरीयता दी जाएगी।